न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र आर.ए.एस..

मैनुअल प्र.सं. : 17/2020

जीसीएमएस : 2020/235

01. सुभाष चन्द्र पुत्र श्री कृष्ण लाल जाति बिश्नोई साकिन मुकलावा तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़। —:प्रार्थी

बनाम

1. हनुमान पुत्र श्री नत्थूराम वल्द सुण्डा राम जाति बिश्नोई साकिन 1 टी के तहसील रायसिंहनगर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व– रायसिंहनगर

—:अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:—01.10.2020

उपस्थित: 1.श्री इन्द्रजीत गोदारा प्रार्थी अधिवक्ता।
2.श्री कृष्णलाल लदोईया अप्रार्थी अधिवक्ता।

——निर्णय—— दिनांक 25.07.2024

01. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 1 टी के तहसील रायसिंहनगर के खाता सं. 47/47 के मु.नं. 81 के कि.नं. 21/0.253 व मु.न. 82 के कि.न. 21 ता 25 के 1.265 है. नहरी मय खाला कुल 1.518 है. नहरी मय खाला खातेदारी भूमि में जाने के लिए इसी चक के खाता नं. 177/163 के मु.न. 87 प.न. 158/315 के कि.न. 1 में 8–1/2 फूट चौड़ाई व 2 फूट लम्बाई में (पूर्वी पासा) में जो नहर की भूमि के चिपता हुआ हैं, रास्ता खोलने /स्वीकृत करने का आश्य रखते है व इस रास्ता जरिये हम पक्षकारान आपसी सहमति से अपने रकबा में आ जा रहे है तथा रास्ता गत 50 सालो से अधिक समय से चालू है, इसलिए मैं/हम राज. अभिकृति अधिनियम 1955 का अधिनियम स. 3 की धारा 251 क उप धारा (2) के अधीन प्रार्थी को अपने खेत में जाने के लिए वाके चक 1टी के खाता नं. 177/163 के मु.न. 87 प.न. 158/315 के कि.न. 1 में 8–1/2 फुट चौडाई व 2 फूट लम्बाई में (पूर्वी पासा) में नहर की भूमि के चिपता हुआ रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे।

02. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया एवं तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका जांच रिपोर्ट तलब की गयी। अप्रार्थी की ओर से श्री कृष्ण लाल लदोईया अधिवक्ता हाजिर होकर जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि अपने जबाव प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का विरोध प्रकट करते हुये अतिरिक्त कथन किया कि यदि प्रार्थी अपने मु.न. 82 के कि.न. 21 25 प्रत्येक में पत्थर लाईन पर 1–1 बिस्वा रास्ता हेतु भूमि देने को सहमत है तो अनावेदक की मु.न. 87 के कि.न. 1 व 10 में पत्थर लाईन पर 1 बिस्वा भूमि में रास्ता स्वीकृत फरमाते हुये विधिक प्रावधानों के अनुसार उचित मुआवजा प्रार्थी को दिलवा दिया जावे . अन्यथा सूरत में प्रार्थना–पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जाकर उचित हर्जा खर्चा जबावदेही अनावेदन दिलवाया जावे। तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक/राजस्व/2023/118 दिनांक 21.2.2023 के अनुसार प्रार्थी के रकबा में आवागमन हेतु [illegible] कोई [illegible]कल्प नहीं होने के कारण एवं रास्ते की आत्याधि[illegible] हुये तथा निकटतम रास्ता की स्थिति को [illegible] चक 1 टी [illegible] प.न. 158/315 के कि.न. 1 के (पूर्वी पासा) में 0.012 है. [illegible] स्वीकृत किया जाना की अभिशाषां की है।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.08.22 12:25:11 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

इस पर एतराज होने पर पुनः तहसीलदार रायसिंहनगर से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार रायसिंहनगर की रिपोर्ट दिनांक 21.02.2024 के अनुसार उक्त प्रकरण में दोनों ने एक –दुसरे से रास्ते की मॉग की है। उक्त प्रकरण मे दोनों की सुविधा को देखते हुए मौका निरीक्षण अनुसार इसी चक के मु.नं. 87 के कि.न. 1/0.202 व 10/0.25 के पश्चिमी पासा में दोनों पक्षकारन की सुविधा अनुसार 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित है। क्योकि इसी से संबंधित प्रकरण सं. 17/2021 अनवान बलवीर बनाम सुभाष चन्द्र आदि जो इसी प्रकरण से संबंधित भूमि में से रास्ते की मांग की गई है मु.नं. 81 के कि. नं. 21 में पत्थर लाईन के पूर्वी पासा में अप्रार्थी हनुमान वगैरा का टयूबेल व कच्चा मकान होने के कारण रास्ता दिया जाना सम्भव नहीं है अतः प्रार्थी को अपनी भूमि में आवागमन हेतु प्रार्थी नहर की पटरी जो बिना स्वीकृत चालू रास्ता से अपनी भूमि में आवागमन हेतु चक 1 टीके के प.नं. 158/315 मु.नं. 87 के कि.नं. 1/0.202 व 10/0.25 है. भूमि अप्रार्थी हनुमान पुत्र नत्थुराम जाति बिश्नोई के नाम दर्ज भूमि में से एक–एक बिस्वा (पश्चिमी पासा) दिया जाना उचित है। उक्त रास्ता स्वीकृत होने पर दोनों प्रकरण में नहर से अपनी भूमि में आवागमन हो सकता है मुताबिक नजरी नक्शा प्रार्थी के खेत में जाने हेतु कोई स्वीकृत शुद्धा रास्ता नहीं है

03. बहस वकील उभयपक्ष की सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को अपने खातेदारी भूमि में जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है रास्ते के बदले प्रार्थी डीएलसी दर की दुगुनी राशि या राज्य सरकार के नियमानुसार राशि का भुगतान देने हेतु सहमत है। अप्रार्थी अधविक्ता ने अपने जवाब में दर्ज कथनों को दोहराया।

04. हमने विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष, की बहस सुनकर व पढकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र एंव तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा प्रेषित उपतहसीलदार मुकलावा –भू–अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। भू–अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि चक 1 टी के तहसील रायसिंहनगर के खाता सं. 47/47 के मु.नं. 81 के कि.नं. 21/0.253 व मु.न. 82 के कि.न. 21 ता 25 के 1.265 है. नहरी मय खाला कुल 1.518 है. नहरी में जाने के लिए कोई अन्य रास्ता नहीं है। उक्त प्रकरण से संबंधित प्रकरण संख्या 17/2021 अनवान बलवीर बनाम सुभाषचन्द्र आदि में प्रस्तावित भूमि में से रास्ते की मांग की गई है दोनों प्रकरण एक ही मु.नं. व कि.नं. से संबंधित होने पर पीठाधीन अधिकारी द्वारा दिनांक 23.07.2024 को दोनों प्रकरणों का मौका निरीक्षण मय भू.निरीक्षक व पटवारी हल्का के साथ किया गया। मौका निरीक्षण अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहे गये स्थान पर रास्ता मांग में अप्रार्थी हनुमान का कच्चा मकान व टयूबैल स्थापित है अतः दोनों प्रकरणों में 1 टीके के प.नं. 158/315 मु.नं. 87 के <u>कि. नं. 1/0.202, 10/0.25 भूमि में से पश्चिमी पासा 1–1 बिस्वा भूमि में रास्ता</u> वर्तमान डीएलसी दर की दुगनी राशि पर स्वीकृत किया जाने पर दोनों प्रार्थीगण को अपने खेतों आवागमन हो सकता है प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.08.22 12:25:11 IST
Reason: SelfAttested

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प... अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर **चक 1 टी के मु.नं. 87 के कि.नं. 1/0.202, 10/0.25 भूमि में से ... 1–1 बिस्वा कुल 2 बिस्वा भूमि में रास्ता स्वीकृत कर गैरमुमकिन रास्ता किये जाने के आदेश दिए जाते है।** इस रास्ता की कुल 2 बिस्वा पश्चिमी पासा की भूमि ... बदले

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

अप्रार्थी को डीएलसी दर की दुगुनी राशि देय होगी। जिसका भुगतान अप्रार्थी को प्रार्थी द्वारा किया जावे। तहसीलदार रायसिंहनगर को निर्देश दिये जाते है कि उक्त रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। तहसीलदार रायसिंहनगर को पालना बाबत आदेश जारी हो, पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान

निर्णय आज दिनांक 25.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.08.22 12:25:11 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner